



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102025-267307
CG-DL-E-31102025-267307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 703]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025/ कार्तिक 9, 1947

No. 703]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025/ KARTIKA 9, 1947

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

फा. सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (ई).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 में (इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) —

(2) उक्त विनियम में, विनियम-15 के उप विनियम (1) को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“चिकित्सा सुविधा. —(1) प्राधिकरण के कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना (एमआरएस), समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे।”

(ख) उक्त विनियमों की द्वितीय अनुसूची का लोप किया जाएगा। पीयूष चंद गुप्ता, उपमहानिदेशक

पीयूष चंद गुप्ता, उपमहानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./437/2025-26]

नोट : मूल विनियमों को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 की संख्या 2) दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2025

F. No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Unique Identification Authority of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 2020, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Unique Identification Authority of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Employees) Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Unique Identification Authority of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the said regulations) —

(a) In the said regulations, against the sub regulation (1) of regulation-15, following entries shall be substituted:

“Medical facility.—(1) Employees of the Authority shall be entitled to medical facilities as per Medical Reimbursement Scheme (MRS) as amended time to time.”

(b) Second Schedule of said regulations shall be omitted.

PIYUSH CHAND GUPTA, Dy. Director General

[ADVT.-III/4/Extty./437/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 2 of 2020), dated the 21st January, 2020